

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
54/021	53, 188 RTA	देउडी	६०३
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गोपाल	बनाम	कन्हैयालाल	

2021/105

वकील :- अजय श्री वास्तेव Adv. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संद

28/7/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/8/021 को पेश हो।

M  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

25/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील समक प्रारत। प्रतिवादी उरु ताड व 8 ता 17 वावजूद सूचना के अनु उपस्थित। इनके विशुद्ध प्रस्तवना कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी उरु 6/7 के वाद तामील समक प्रारत। पुनः तलकी हेतु शनि-वार तलकी पेश भये वास्ते तलकी पत्रावली दिनांक 5/10/21 को पेश हो।

25/7/22

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के धी शिधिर..... ६०३ पर पत्रावली पेश नहीं हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनु कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 26/4/22 को पेश हो।

26/7/21

अन्य गीनासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/6/21 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। तहसील से वि० प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। पत्रावली वाले इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.1.25 को पेश हो।

29.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। तहसील से वि० प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। पुनः स्मरण पत्र लिखा जावे। पत्रावली वाले इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.2.25 को पेश हो।

19.2.25 <sup>कार्यवाही</sup> न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 19.4.25 को पेश हो।  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छत्रगढ़ (बारा)

9.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकील डिस्ट्रिक्ट उपर। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अज्ञात। पुनः स्मरण पत्र लिखा जावे। पत्रावली वाले विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.5.25 को पेश हो।

14.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील डिस्ट्रिक्ट उपर। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अज्ञात। पुनः स्मरण पत्र लिखा जावे। पत्रावली वाले विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.6.25 को पेश हो।


11.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील डिस्ट्रिक्ट उपर। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अज्ञात जो शान्ति से पत्रावली वाले कदम दिनांक 16.6.25 को पेश हो।

16.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील डिस्ट्रिक्ट उपर। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अज्ञात जो शान्ति से कदम अविभाजित वाली हुमीजरी पत्रावली वाले कोडर दिनांक 24.6.25 को पेश हो।

24.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील डिस्ट्रिक्ट उपर। तहसील से विभाजन प्रस्ताव अज्ञात जो शान्ति से जो अज्ञ विभाजन प्रस्ताव है वकील डिस्ट्रिक्ट लुडोय ही अज्ञ विभाजन प्रस्ताव अज्ञात विभाजित काराजी का पक्षकारान के कदम पत्रावली विभाजन विभाजित दिनांक 24.6.25 को पेश हो।

नाम खातेदार	क्र. सं.	रकम
1. गोपाल पुत्र कात्याय काछी सा-डेह	137	0.1391
	138	0.0253
दिस 2		0.1644
2. सीराराठ, रामकात्याय पुत्र, आशा, उषा, आननीबाई पुत्री, कृपा फालि स्वर गडखिमोटे छि 4/65, उमाबाई पुत्री शिभी काछ छि 6/65, कहेमालाल, शंकरलाल पुत्र कात्याय छि 9/65, गणेश पुत्र पन्ना छि 26/65, धनराठ, मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र, मोहनीबाई पुत्री, शशीबाई पत्नी स्वर गोएराठ छि 7/65 जाडे काछी, शहादुल्ला काठ पुत्र शहादुल्ला काठ छि 13/65 जाडे गुलकाठ सा-डेह	133 134 135 136 छि 137 99/4	0.2276 0.1644 0.0253 0.1138 0.2150 0.0759
दिस 6		8220

उपरोक्तानुसार विवरिते आराजी कहे उक्त  
शेडी तह छकड का पडकाराठ के सम्य दृषक-दृषक विमान  
खिया जानल रागल रिकार्ड के काल उराल कहे हेड  
तहारीखडाल एकरा को कोडखिते खिया जान श्री तहडाल  
खिडी कानेठ खिडी पन्ना जारी ओ पजावली फिल्ल शुभाल  
देकर वाड लामिष तक्तीष के दाखिल दालल हे

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 54/2021	धारा अन्तर्गत 53,188 टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 24.6.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:-श्री अजय श्रीवास्तव		अभिभाषक प्रतिवादी:-

वाद शीर्षक

उनवान

1. गोपाल आयु 55 वर्ष पुत्र काल्या जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां  
बनाम

- कन्हैयालाल आयु 60 वर्ष पुत्र काल्या
- शंकरलाल आयु 58 वर्ष पुत्र काल्या
- रामकल्याण आयु 40 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर
- सीताराम आयु 38 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जातियान काछी निवासीगण छबडा जिला बारां
- मुस0 उषा आयु 35 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि खेमराज जाति काछी निवासी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- जानकीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि प्रकाश जाति काछी निवासी ग्राम काजलिया तहसील छिपाबडौद जिला बारां (राज0)
- मुस0 आशाबाई आयु 38 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि बुल्लिया जाति काछी निवासी ग्राम छिपाबडौद जिला बारां (राज0)
- मुस0 रूपा आयु 70 वर्ष बेवा नन्दकिशोर जाति काछी निवासी ग्राम छबडा तहसील छबडा
- छीतरलाल आयु 35 वर्ष पुत्र गणेश
- बबलु आयु 32 वर्ष पुत्र गणेश
- छोट्या आयु 30 वर्ष पुत्र गणेश
- मुस0 मांगीबाई आयु 50 वर्ष बेवा गणेश जातियान काछी निवासीगण छबडा जिला बारां
- लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छा पुत्र गोरधन
- धन्ना उर्फ धन्या आयु 28 वर्ष पुत्र गोरधन
- मेहनलाल आयु 26 वर्ष पुत्र गोरधन
- मुस0मुलीबाई बेवा गोरधन जातियान काछी निवासीगण छबडा जिला बारां (राज0)
- इमादुल्ला खान आयु 70 वर्ष पुत्र असादुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छबडा
- राजस्थान सरकार जय तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी छबडा तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. गोपाल पुत्र काल्या काछी सा0 देह	137	0.1391	-	
	138	0.0253		
2. सीताराम रामकल्याण पुत्र आशा, उषा, जानकी पुत्री, रूपा पत्नि स्व0 नन्दकिशोर हिस्सा0 4/65 उमाबाई, पुत्री बिस्फीलाल, हिस्सा 6/65, कन्हैयालाल, शंकरलाल, पुत्र काल्या हिस्सा 9/65 गणेश, पुत्र पन्ना हिस्सा 26/65 धनराज, मोहनलाल लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनीबाई पुत्री भूलीबाई, पत्नि स्व0 गोरधन हिस्सा0 7/65 जाति काछी, इमादुल्ला खान पुत्र असादुल्ला खान हिस्सा 13/65 जाति मुसलमान सा0देह	किता 2	0.1644 है0	-	-
	133	0.2276		
	134	0.1644		
	135	0.0253		
	136	0.1138		
	मि0 137	0.2150		
	99/4	0.0759		
	किता 6	8220 है0	-	-

उपरोक्तनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य संलग्न नक्शानुसार पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही निम्नानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश में इस्ताफर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.6.25 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड न्यायालय अधिकारी  
छबडा (बारां)

व्ययानुतोष	वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र/लिखित कथन		
2. अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3. साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4. प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5. पारिश्रमिक अभिभाषक		
6. व्यय साक्षी		
7. फीस कमिश्नर		
8. अन्य/क्षतिपूर्ति		
9. ब्याज ( )		